न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

(प्रथम अपील अधिकारी अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 27 / 2024

जी.सी.एस.एस. नं. : 2024 / 126

नक्षत्र सिंह पुत्र हमीर सिंह निवासी वार्ड नं. 24 तहसील रायसिंहनगर

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 06.09.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलार्थी द्वारा यह प्रथम अपील प्रत्यर्थी द्वारा कोई जवाब नहीं दिये जाने के आधार पर प्रस्तुत की गयी हैं। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पत्र के संबंध में जवाब प्रतिवेदन तलब किया गया। उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के पत्रांक / विविध / 24 / 3808 दिनांक 14.08.2024 के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण में कार्यालय के पत्रांक / सूकाअ / 24 / 3646 दिनांक 15.05.2024 को प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवा दी थी। अपील खारिज करने हेतु निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी के द्वारा प्रत्यर्थी से किसी प्रकार का जवाब प्राप्त नहीं होने के आधार पर अपील प्रस्तुत की गयी हैं। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के साथ पत्र दिनांक 15.05.2024 की प्रति प्रस्तुत की गयी हैं जिसके द्वारा अपीलार्थी को सूचना का अधिकार आवेदन पत्र पर जवाब प्रेषित कर दिया गया था। अतः अपील पत्र पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं हैं अपील सारहीन होने के कारण खारिज योग्य हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती निर्णय की प्रति उभयपक्ष को सूचनार्थ / पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 06.09.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अवधेश मीना)
I.A.S
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़